

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)]

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 1972/आषाढ़ 5, 1894

No. 310]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 1972/ASADHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATIONS

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th June 1972

S.O. 443-(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 10 of the Exports (Control) Order, 1968, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. MISC. 36/66(I-1) dated the 10th November, 1966, (as amended by notification No. 1/67 dated the 4th August, 1967 and notification No. 1/69 dated the 31st March, 1969) constituting the authorities for the purpose of hearing appeals against the action taken under clause 8 or 8A of the said Order, namely :—

In the said notification, in item (ii), for the words "Additional Secretary and two Joint Secretaries to the Government of India in the Ministry of Foreign Trade and Supply", the words and brackets "Special Secretary and two Joint Secretaries to the Government of India and the Officer on Special Duty (Vigilance), in the Ministry of Foreign Trade" shall be substituted.

[No. F. 22(20)/67-O&M.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 जून, 1972

एस० आ० 443(अ).—निर्यात(नियंत्रण)आदेश, 1968 की धारा 10 को उपधारा(2) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की धारा 8 या 8ए के अधीन की गई कार्रवाई के विपरीत अपील की सुनवाई के लिए प्राधिकारियों की संस्थापना करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या मिस्क. 36/66(I-1) दिनांक 10 नवम्बर, 1966 (जैसा कि अधिसूचना संख्या : 1/67, दिनांक 4 अगस्त, 1967 और अधिसूचना संख्या 1/69, दिनांक 31 मार्च, 1969 द्वारा संशोधित की गई) में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद (ii) में, “विदेश व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव और दो संयुक्त सचिव”, शब्दों के लिए “विदेश व्यापार मंत्रालय में भारत सरकार के विशेष सचिव और दो संयुक्त सचिव और विशेष कार्य अधिकारी (सतर्कता)”, शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या फा० 22(20)/67-ओ एंड एम]

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th June 1972

S.O. 444.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 10 of the Imports (Control) Order, 1955, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. 12/66 dated the 10th November, 1966, (as amended by notification No. 10/67, dated the 4th August, 1967 and notification No. 4/69 dated the 31st March, 1969) constituting the authorities for the purpose of hearing appeals against the action taken under clause 8 or 8A of the said Order, namely :—

In the said notification, in item (ii), for the words “Additional Secretary and two Joint Secretaries to the Government of India in the Ministry of Foreign Trade and Supply”, the words and brackets “Special Secretary and two Joint Secretaries to the Government of India and the Officer on Special Duty (Vigilance), in the Ministry of Foreign Trade” shall be substituted.

[No. F. 22(20)/67-O&M.]

K. KISHORE, Jt. Secy.

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 जून, 1972

एस० आ० 444(अ).—आयात(नियंत्रण)आदेश, 1955 की धारा 10 उपधारा(2) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की धारा 8 या 8ए के अधीन की गई कार्रवाई के विपरीत अपील की सुनवाई के लिए प्राधिकारियों की संस्थापना करते हुए भारत

सरकार के भूतपूर्व अणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12/66, दिनांक 10 नवम्बर, 1966 (जैसा कि अधिसूचना संख्या 10/67, दिनांक 4 अगस्त, 1967 और अधिसूचना संख्या : 4/69, दिनांक 31 मार्च, 1969 द्वारा संशोधित की गई) में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद (ii) में, “विदेश व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव और दो संयुक्त सचिव”, शब्दों के लिए “विदेश व्यापार मंत्रालय में भारत सरकार के विशेष सचिव और दो संयुक्त सचिव और विशेष कार्य अधिकारी (सतर्कता)” शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या मिसिल 22(20)/67-ओ एंड एम]

के० किशोर, संयुक्त सचिव।

